Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment	Entertainment & Event
Property	Hobbies & Interests
Business Opportunity	Services
Vehicles	Jewellery & Watches
Announcements	Music
Antiques & Collectables	Obituary
Barter	Pets & Animals
Books	Retail
Computers	Sales & Bargains
Domain Names	Health & Sports
Education	Travel
Miscellaneous	

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

न्यूज डायरी

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला 6 सितंबर को

संवाददाता देहरादून। क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून ममता चौहान ने अवगत कराया है कि मॉडल करियर सेन्टर, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में 6 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कम्पनियां प्रतिभाग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न कम्पनियों में स्थायी एवं अस्थायी लगभग 624 पदों पर भर्ती हेतु पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इच्छुक अभ्यर्थियों से 6 सितम्बर 2019 को प्रातः 10 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में पूछताछ/काउण्टर नम्बर–01 वा अपना नाम क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय दून में अंकित करवा सकते हैं साथ ही मेले में प्रतिभाग करने के लिए भारत सरकार की वेबसाईट में भी अपना पंजीयन करवा सकते है। साक्षात्कार 6 सितम्बर 2019 को प्रातः 11 बजे से शुरू होंगें।

वरिष्ठ पत्रकार नंदकिशोर नौटियाल के निधन पर शोक जताया

संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वरिष्ठ पत्रकार नंदकिशोर नौटियाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नंदकिशोर नौटियाल एक समर्पित पत्रकार थे, जिन्होंने सदैव पत्रकारिता के उच्च मूल्यों को बनाए रखा।

नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल का प्रयोग कर करें अपने परिवार के सदस्यों का सत्यापन

संवाददाता देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस निर्वाचक नामावली को शत–प्रतिशत् शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये रखने के लिए 01 सिम्बर से ईवीपी का आयोजन किया जा रहा है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्ह मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम संशोधन, स्थान परिवर्तन व सूची से नाम हटवाने हेतु वोटर हेल्पलाईन न0 1950, मोबाईल एप्प, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल का प्रयोग कर सकते है अथवा बीएलओ से सम्पर्क कर सकते है। समस्त अर्ह मतदाता निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु निकटतम जा सकते है। प्रत्येक मतदाता को सत्यापन हेतु वर्णित अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख यथा पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शासकीय/अर्धशासकीय पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज की फोटो प्रति लानी आवश्यक होगी।

मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में पेंशन अदालत आयोजित

■पेंशन अदालत में कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए

(संवाददाता)

पेंशन अदालत में पेंशनरों की समस्याएं सुनते हुए।

देहरादून। प्रधानमंत्री की पहल पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड द्वारा पेंशन अदालत को आयोजित करने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज मुख्य कोषाधिकारी नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय देहरादून में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया।

पेंशन अदालत में कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश आवेदन पत्र शासनादेशानुसार 01 जनवरी 2016 से पूर्व पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में थे।

मुख्य कोषाधिकारी नरेन्द्र सिंह ने अवगत करया कि शासनादेशानुसार जिन पेंशनरो पारिवारिक पेंशनरों का विवरण सम्बन्धित विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त हो चुके हैं, की पेंशन ध्यारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित की जा चुकी है, तथा जिनका विवरण प्राप्त नही हुआ है, के सम्बन्ध में वांछित पेंशन विवरण उपलब्ध कराने हेतु शीघ्र ही सम्बन्धित विभागध्यक्ष को पत्र प्रेषित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कतिपय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन विवरण सम्बन्धित कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किये जाने है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून से पेंशनर/पारिवारिक पेंशन की सूचना प्राप्त होने पर पेंशन पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।

आपत्तियों के निराकरण के बाद पंचायत आरक्षण सूची अंतिम प्रकाशन को पंचायतीराज निदेशालय भेजी जाएगी

संवाददाता देहरादून। उत्तराखण्ड शासन पंचायतीराज विभाग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की अनन्तिम सूची का प्रकाशन विगत 17 अगस्त को समस्त विकासखण्ड कार्यालयों, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में किया गया। अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त आत्तियां प्राप्त की गयी तथा प्राप्त आपत्तियों पर जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में आपत्तियों की सुनवाई गत दिवस 29 अगस्त एवं 30 अगस्त को की गयी, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य पद हेतु 09, प्रधान ग्राम पंचायत पद हेतु 190, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु 63, जिला पंचायत सदस्य पद हेतु 43 तथा प्रमुख पद हेतु 13 आपत्तियों पर सुनवाई की गयी। आपत्तियों के निराकरण के पश्चात त्रिस्तरीय पंचायत पद के आरक्षण के बाद कल 31 अगस्त को अन्तिम प्रकाशन हेतु सूची निदेशालय पंचायतीराज को प्रेषित की जायेगी।

नशे के विरूद्ध अभियान चलाने वाले बच्चों को राजभवन सम्मानित करेगा

अपील

युवाओं को नशे की लत से बचाने को धार्मिक संस्थाएं आगे आए

संवाददाता

'एन्टी ड्रग्स ट्रैफिकिंग' अभियान के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करतीं राज्यपाल।

देहरादून। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने में समाज के विभिन्न वर्गो के साथ ही धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा। युवा देश की पूंजी है। उन्हें नशे की बुरी आदतों से बचाना सभी का सामाजिक दायित्व है। राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने कहा कि सभी धर्मो की संस्थाएं नशे के विरूद्ध युवाओं का सही मार्गदर्शन करें। बच्चों को नशे की आदतों से बचाने में उनकी माताएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अभिभावक अपने बच्चों पर निगरानी रखें तथा अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार भी दें।

राज्यपाल ने कहा कि छात्र–छात्राएं स्कूल व कॉलेजों के आस–पास होने वाले नशे के व्यापार व नशे में लिप्त लोगों की सूचना बिना डरे तत्काल पुलिस को दें। बच्चे अपने ऐसे मित्रों की जो नशे के आदी हो गये है को स्नेह व सहयोग से नशे के विरूद्ध जागरूक करने का प्रयास करे तथा उनकी नशे की गिरफत से बाहर आने में मदद करें। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित ''एन्टी ड्रग्स ट्रैफिकिंग'' कार्यशाला का शुभारम्भ किया। राज्यपाल ने घोषणा की कि नशे के विरूद्ध अभियान चलाने वाले बच्चों को राजभवन द्वारा सम्मानित किया जायेगा। इस अवसर पर डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि राज्यपाल द्वारा बेहद महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत मुद्दे को उठाया गया है। युवा अपनी ऊर्जा व उत्साह को सही दिशा में लगाये। उत्तराखण्ड पुलिस विभाग नशे के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही व जन जागरूकता के कार्य कर रही है परन्तु नशे की बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिये समाज के सभी लोगों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। पुलिस विभाग इस सम्बन्ध में एक कार्ययोजना बनाने जा रहा है। उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा वर्ष 2017 से निरन्तर एन्टी ड्रग्स ट्रैफिकिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी निरन्तर समीक्षा की जा रही है। नशे के अपराधी, व्यापारी व माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। डीजीपी रतूड़ी ने कहा कि नशे के व्यापार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार सूचना उत्तराखण्ड पुलिस को निडर होकर दें।

सूचना देने वाले का पहचान गुप्त रखी जाती है। पुलिस विभाग इस सम्बन्ध में हर प्रकार के सहयोग के लिये तत्पर है। एडीजी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाइट, फेसबुक पेज व सोशल मीडिया साइट पर एन्टी ड्रग्स ट्रैफिकिंग से सम्बन्धित विभिन्न जागरूकता वीडियों क्लिपस, शॉर्ट फिल्मस व सामग्री उपलब्ध है। शिक्षण संस्थानों व लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है। डीआईजी एसटीएफ रिद्धम अग्रवाल ने जानकारी दी की नशे में भाग व चरस के नशे के उपयोग में सिक्किम, नागालैण्ड, उड़ीसा, दिल्ली, मिजोरम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य आगे हैं। भांग व चरस के नशे के उपयोग में उत्तराखण्ड प्रथम 10 राज्यों में नहीं है।

दून की मुख्य सड़कों पर नहीं दिखेंगे ई–रिक्शा

योजना

गाड़ियों की रफ्तार भी कम करते है ई–रिक्शा

देहरादून के एसएसपी अरुण मोहन जोशी कहते हैं कि अपनी सीमित रफ्तार की वजह से ई–रिक्शा मुख्य सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की रफ्तार भी कम करते हैं। इसलिए देहरादून पुलिस की पहल पर इन्हें मुख्य मार्गों से बाहर करने का निर्णय किया गया।

देहरादून। **संवाददाता**

शहर के मुख्य रास्तों में जल्द ही ई–रिक्शा दिखने बंद हो सकते हैं। देहरादून पुलिस और आरटीओ ई–रिक्शा के लिए नए रूट्स पर काम कर रहे हैं, ताकि इन्हें मुख्य मार्गो से हटाया जा सके लेकिन शहर की यातायात व्यवस्था के लिए सबसे बड़े सिरदर्द विक्रमों को नियंत्रित करने के लिए न पुलिस के पास कोई योजना है और न ही आरटीओ के पास। आरटीओ ये भी बताने को तैयार नहीं है कि यातायात व्यवस्था के साथ ही पर्यावरण के लिए समस्या बन चुके इन विक्रमों को फेज–आउट करने की योजना के क्या हाल हैं।

शहर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए ई–रिक्शा को शहर की मुख्य सड़कों से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है जो एक सितंबर से लागू भी हो जाएगा। योजना ई–रिक्शा को मुख्य मार्गों के बजाय शहर के अंदरूनी हिस्सों में ऑपरेट करने की है ताकि मुख्य सड़कों से भीड़ कम हो सके।

ई–रिक्शा के मार्केट में आने के बाद शुरुआत में कहा जा रहा था कि धीरे–धीरे ये विक्रमों की जगह ले लेंगे जो बेतरतीब ढंग से चलते और खड़े होकर यातायात व्यवस्था के लिए मुसीबत बन जाते हैं। ई–रिक्शा शहरी यातायात के लिए इसलिए भी बेहतर विकल्प माने गए थे क्योंकि ये ग्रीन व्हीकल हैं यानि जीरो पॉल्यूशन फैलाते हैं। विक्रम वायु और ध्वनि प्रदूषण के बड़े कारण माने जाते हैं। आरटीओ में अब तक 2500 ई–रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

उत्तराखण्ड सरकार की रिवर्स पलायन योजना को पुलिस पहनाने लगी अमलीजामा

संवाददाता देहरादून। सूबे में पहाड़ों से पलायन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। हालत तो यह है कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में 'घोस्ट विलेज' की संख्या बढ़ती जा रही है।

घोस्ट विलेज यानि ऐसे गांव जहां अब आदमी पलायन कर गए हैं और वहां अब कोई बचा ही नहीं है। राज्य सरकार रिवर्स पलायन के लिए योनजाएं बना रही है तो उत्तराखंड पुलिस ने बिना किसी शोर–शराबे के इस योजना पर काम करना शुरु कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस में ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपने–अपने घरों यानि गृह जनपद में लौट रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इससे पहाड़ के खाली होते गांव भी आबाद होंगे।

राज्य में पलायन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महकमे ने पुलिसकर्मियों को होम डिस्ट्रिक्ट में वापस जाने का विकल्प दिया था। राज्य पुलिस ने सात पहाड़ी जिलों में यह विकल्प इसलिए दिया था क्योंकि वहां जाने को पुलिसकर्मी आसानी से तैयार नहीं होते थे। डीजी अशोक कुमार ने बताया कि ट्रायल पर शुरु की गई यह स्कीम बहुत सफल हुई. न सिर्फ ऐसे जिलों और थानों में पुलिसकर्मी जाने को तैयार हो गए जहां ट्रांस्फर सजा माना जाता था बल्कि अब इसका विस्तार करने की मांग भी की जा रही है।